



75

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-916/ 917

रायपुर, दिनांक 17/04/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषय: — Diversion of 0.144 ha. Forest land in favour of M/s. B.S. Sponge Pvt. Ltd. for Laying Pipeline from Dewanmunda Nala to Plant site in order to fulfill the water requirement for operation of plant at Village- Jamdabri Range- Tamnar in Raigarh Forest Division Raigarh District in the State of Chhattisgarh- regarding.

पंजीयन क्रमांक— FP/CG/Pipeline/151253/2022

- संदर्भ:—**
1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ.नं.—एफ.सी.—1/आई.आर.ओ.सी.एच.—18/2022/1130 दि. 22.12.2022
 2. छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 5-19/2022/10-2 दिनांक 10.01.2023
 3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक/993 दिनांक 27.03.2023

—0—

विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के संदर्भित पत्र — 1 द्वारा laying Pipeline from Dewanmunda Nala to Plant site in order to fulfill the water requirement for the operation of plant at Village- Jamdabri, Range- Tamnar in Raigarh Forest Division Raigarh हेतु प्रभावित कुल 0.144 हे. वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से प्रेषित किया है। बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:—

S.No.	Conditions	Compliance Status
I	Legal status of the forest-land shall remain unchanged;	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप-अपरिवर्तित-रहेगा, संस्थान द्वारा सहमति एवं वचन पत्र दी गयी है।
II	Compensatory afforestation (a) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department will carry out 10 times Forest tree species plantation behalf of 36 trees with 10 years maintenance at the cost of the user agency.	आवेदक संस्थान मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा.लिमि. रायगढ़ द्वारा सहमति एवं वचन पत्र दिया गया है।
III	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required	आवेदक संस्थान मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा.लिमि. रायगढ़ द्वारा विदोहित किये जाने वाले 36 वृक्षों के बदले दस गुना कुल 360 पौधों का दस वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वन विभाग द्वारा तैयार की गई है जिसकी कुल राशि रुपये 3,07,575.00

S.No.	Conditions	Compliance Status
(IX)	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipe line the ground will be leveled.	संस्थान द्वारा सहमति एवं वचन पत्र दिया गया है।
(X)	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	आवश्यकता नहीं है।
(XI)	No labour camp shall be established on the forest land;	संस्थान द्वारा सहमति एवं वचन पत्र दिया गया है।
(XII)	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	संस्थान द्वारा सहमति एवं वचन पत्र दिया गया है।
(XIII)	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	आवेदित क्षेत्र को चार फीट ऊंची आर.सी.सी. पीलर्स गड़ाकर फारवर्ड एवं बैकवर्ड वीयरिंग अंकित किया जाकर सीमांकन कार्य किये जाने हेतु प्राक्कलित राशि अनुसार रु. 6,08,059.00 (रुपये छः लाख आठ हजार उन्सठ) मात्र वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के नाम से डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 002136 दिनांक 27.02.2023 प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा कर दिया गया है।
(XIV)	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	संस्थान द्वारा सहमति एवं वचन पत्र दिया गया है।
(xv)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	संस्थान द्वारा सहमति एवं वचन पत्र दिया गया है।
(xvi)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	संस्थान द्वारा सहमति एवं वचन पत्र दिया गया है।
(xvii)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	संस्थान द्वारा सहमति एवं वचन पत्र दिया गया है।
(xviii)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11 42/2017-FC dt 29/01/2018;	आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा वचनपत्र दिया गया है।
(xix)	Any other condition that the Ministry of	संस्थान द्वारा सहमति एवं वचन पत्र दिया गया है।

S.No.	Conditions	Compliance Status
	Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	
(xx)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/);	संस्थान द्वारा सहमति एवं वचन पत्र दिया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार (02 प्रति में)

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-916 / 9/8

रायपुर, दिनांक 17/04/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, रायपुर। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र में खड़े 36 वृक्षों के विदोहन हेतु तैयार वृक्ष विदोहन योजना अनुसार अनुशंसा की जाती है।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 22.12.2022 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के अनुमोदन उपरांत एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है।
- वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमति प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी के पी.डी.खाते में वृक्षों के विदोहन हेतु जमा राशि के आहरण की अनुमति पृथक से भू-प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।
3. वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
4. जनरल मैनेजर (प्रशा.), मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा.लिमि. रायगढ़ जिला— रायगढ़ छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/वं. स. अ)
छत्तीसगढ़